ग्राम पंचायत मलराओं, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर हि• प्र• –174035 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018

भाग–एक

1 प्रस्तावना (क):–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07. 04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मलराओं, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति रतनी देवी	01.04.2015 से 22.01.2016
2	श्रीमति मन्जुला चन्देल	23.01.2016 से 31.03.2018

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री कमल देव	01.04.2015 से 04.03.2017
2	श्री सूरम सिंह	05.03.2017 से 31.03.2018

तकनीकी सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री जीत राम	01.04.2015 से 31.03.2018

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार	2015–16 व 2016–17
2	श्री महेन्द्र सिंह	2017–18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत मलराओं, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र•	**पैरा सं•**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	7	वास्तविक व्यय से अधिक की राशियां बैंक से आहरित करके किया गया सम्भावित दुर्विनियोजन/गवन	0.17
2	14	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष	0.04
3	15	अनुदान की राशि का अवरोधन	12.57
4	16	बिना किसी प्रकार के बिलों के किया गया संदिग्ध भुगतान	0.15
5	17	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	1.44
6	18	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	2.42
7	23	आय से सम्बन्धित रसीदों को गायब करके किया गया सम्भावित दुर्विनियोजन/गवन	0.05

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत मलराओं, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 28/05/2018 से 31/05/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं में दर्ज आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार माहवार अधिकतम आय व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2015—16	06/2015 (चूंकि इस वर्ष के दौरान स्वस्त्रोतों में ब्याज के अतिरिक्त कोई आय नहीं है अतः अनुदान आय के आधार पर चयनित)	09/2015
2016—17	12/2016 (माह 02/2017 की ₹500000 की आय मात्र एक बैंक अन्तरण है अतः 12/2016 का चयन किया गया)	02/2017
2017—18	05/2017	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत मलराओं, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/— 120 दिनांक 30/05/2018 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक झण्डूता के मल्टीसिटि चैक संख्या 034372 दिनांक 30—05—2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :—

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं की स्व—स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

स्व स्त्रोत :— ग्राम पंचायत के अवधि 04/2015 से 03/2018 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4×5)
1	2	3	4	5	6
2015—16	115692	4687	120379	0	120379
2016—17	120379	591572	711951	5330	706621
2017—18	706621	483183	1189804	130455	1059349

अनुदानः— ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4×5)
1	2	3	4	5	6
2015—16	1929090	1329931	3259021	2035522	1223499

2016—17	1223499	3339895	4563394	2971727	1591667
2017—18	1591667	1786877	3378544	2121463	1257081

5 बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत मलराओं की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2018 के ₹23,16,430 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा ₹23,13,893 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः— **(परिशिष्ट—2)**

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः—	
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4)	392572

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—

	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110105016	1059349
2	खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110105300	1155378
3	12वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110107581	0
4	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	1111011458	0
5	हरियाली	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110105639	0
6	हरियाली लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110105762	98276
7	इन्दिरा आवास योजना		11110110397	0
8	राजीव/अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110110395	0
9	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता	11110110394	0
10	नरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक मलराओं	11110106000	0
11	खाता 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			890
	कुल योग (ख)ः			2313893

बैंक समाधान विवरणीः—

रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेषः—	2316430
जमाः—	
1. हरियाली लाभार्थी अंशदान का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है इस कारण अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त ₹19745 की आय का भी लेखांकन नहीं किया गया हैः—	19745

2.	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से हि. प्र. रा. सिविल सप्लाई कार्प. झण्डूता को जारी ₹4929 के चैक संख्या 372124 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 75 पर दिनांक 01.03.2017 को ₹6161 का व्यय दर्ज है। जिस कारण ₹1232 का अन्तर आया हैः–	1232
	उपरोक्त दो मदों को जमा करने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेषः–	**2337407**
	घटावः–	
1.	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से कमलदेव पंचायत सचिव के नाम से आहरित ₹20000 के चैक संख्या 366386 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 25 पर दिनांक 08.05.2015 को ₹17700 का व्यय दर्ज है। जिस कारण ₹2300 का अन्तर आया हैः–	2300
2.	खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 30 पर दिनांक 29.06.2015 को दर्ज ₹155 का हस्तगत शेष अगले पृष्ठ पर दर्ज नहीं किया गया हैः–	155
3.	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से गोविन्द राम पंचायत चौकीदार के नाम से आहरित ₹5000 के चैक संख्या 367586 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 39 पर दिनांक 05.11.2015 को ₹4000 का व्यय दर्ज है। जिस कारण ₹1000 का अन्तर आया हैः–	1000
4.	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से हि. प्र. रा. सिविल सप्लाई कार्प. झण्डूता को जारी ₹8584 के चैक संख्या 367577 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही में कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया हैः–	8584
5.	खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 60 पर दिनांक 21.10.2016 को दर्ज ₹60 का हस्तगत शेष अगले पृष्ठ पर दर्ज नहीं किया गया हैः–	60
6.	दिनांक 27–02–2017 को हि प्र सह बैंक झण्डूता द्वारा खाता संख्या 5300 में जमा ₹10000 के जिला परिषद् अनुदान के जमा के बाद के अन्त शेष ₹18,81,860 को बिना किसी अन्य लेन देन के घटाकर दिनांक 28.02.2017 को ₹18,75,325 दर्शाया गया है। जिस कारण ₹6535 का अन्तर आया हैः–	6535
7.	मोहिन्द्र सिंह से ₹5350 की लोहे की ग्रिल की खरीद के विरूद्ध हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से चैक संख्या 372122 से ₹8550 का भुगतान करते हुए ₹3200 का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया हैः–	3200

8.	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से गोविन्द राम पंचायत चौकीदार के नाम से आहरित ₹1680 के चैक संख्या 844851 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही में कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया हैः—	1680
	उपरोक्त आठ मदों को घटाने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेषः—	**2313893**
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2018 का अन्तशेषः—	**2313893**
	अन्तरः—	**शून्य**

6 हरियाली लाभार्थी अंशदान का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं करने के कारण ₹0.98 लाख को लेखाओं से बाहर रखने बारेः—

ग्राम पंचायत मलराओं के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ''हरियाली लाभार्थी अंशदान'' तथा इसकी राशि पर प्राप्त ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है। इस कारण से इस मद में अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त ₹19745 की आय के पश्चात दिनांक 31.03.2018 को हि. रा. सह. बैंक झण्डूता के बचत खाता संख्या 11110105762 के ₹98276 के अन्तशेष की राशि पंचायत खातों से बाहर पाई गई है। अतः इस अनियमितता के करणों बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त यथाशीघ्र इस राशि को रोकड़ बही में लेखांकन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 वास्तविक व्यय से अधिक ₹0.17 लाख की राशियां बैंक से आहरित करके किया गया सम्भावित दुर्विनियोजन/गबनः—

ग्राम पंचायत मलराओं के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार बैंक खाते से वास्तविक व्यय से अधिक राशियां आहरित की गई हैं जिनके सन्दर्भ में किसी प्रकार के बिल वाउचर उपलब्ध नहीं हैं अथवा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

	अनियमितता का विवरण	**सम्भावित दुर्विनियोजन/गबन**
1.	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से कमलदेव पंचायत सचिव के नाम से आहरित ₹20000 के चैक संख्या 366386 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 25 पर दिनांक 08.05.2015 को ₹17700 का व्यय दर्ज है।	2300
2.	खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 30 पर दिनांक 29.06.2015 को दर्ज	155

₹155 का हस्तगत शेष अगले पृष्ठ पर दर्ज नहीं किया गया है

3.	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से गोविन्द राम पंचायत चौकीदार के नाम से आहरित ₹5000 के चैक संख्या 367586 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 39 पर दिनांक 05.11.2015 को ₹4000 का व्यय दर्ज है।	1000
4.	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से हि. प्र. रा. सिविल सप्लाई कार्प. झण्डूता को जारी ₹8584 के चैक संख्या 367577 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही में कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है।	8584
5.	खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 60 पर दिनांक 21.10.2016 को दर्ज ₹60 का हस्तगत शेष अगले पृष्ठ पर दर्ज नहीं किया गया है।	60
6.	मोहिन्द्र सिंह से ₹5350 की लोहे की ग्रिल की खरीद के विरूद्ध हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से चैक संख्या 372122 से ₹8550 का भुगतान करते हुए ₹3200 का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया है।	3200
7.	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक झण्डूता के बैंक संख्या 5300 से गोविन्द राम पंचायत चौकीदार के नाम से आहरित ₹1680 के चैक संख्या 844851 के विरूद्ध खाता 'ख' की रोकड़ बही में कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है।	1680
	कुल योग	**₹16979**

अतः उपरोक्त अनियमितताओं की विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच करके इन राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत मलराओं द्वारा वर्ष 2016—17 तक नौ अलग —अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया जा रहा था। वर्ष 2017—18 के दौरान इनमें से 6 रोकड़ बहियों को बन्द करके अन्तशेष खाता 'ख' में अन्तरित कर दिए गए हैं तदापि वर्तमान में खाता 'क', खाता 'ख' तथा नरेगा के लिए तीन रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया जा रहा है जो कि अभी भी नियमों की अवहेलना है। अतः भविष्य के लिए पंचायत

की कार्यपंणाली में और सुधार करते हुए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करके हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9 लैजर खातों का रख–रखाव नियमानुसार न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना उचित तरीके से नहीं की गई है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत मलराओं द्वारा लैजर तो बनाए गए हैं परन्तु इन्हें परियोजना विशेष के स्थान पर निर्माण कार्य विशेष के आधार पर ''निर्माण कार्य रजिस्टर'' (Works Register) की तरह तैयार किया गया है जो कि अनुचित है तथा इन लैजर खातों को अनुरक्षित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत मलराओं के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 वर्गीकृत सार (Classified Abstarct) को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट

के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

13 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 पंचायत राजस्व की ₹0.04 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत के राजस्व की ₹3810 की वसूली हेतु शेष थी।

1. गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2015–16 में 278 तथा 2016–17 में 280 के लिए दर ₹10 प्रति परिवार व 2017–18 में 284 परिवार, दर ₹20 प्रति परिवार प्रतिवर्षः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015–16	0.00	2780.00	2780.00	0.00	2780.00
2016–17	2780.00	2800.00	5580.00	0.00	5580.00
2017–18	5580.00	5680.00	11260.00	7450.00	3810.00

इसके अतिरिक्त उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

15 अनुदान ₹12.57 लाख का अवरोधनः–

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31–03–2018 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹12,57,081 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

16 बिना बिलों के किया गया ₹0.15 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि विभिन्न

रोकड़ बहियों में निम्न विवरणानुसार दर्ज ₹15,210 के व्यय के विरूद्ध किसी भी प्रकार के बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। बिना बिलों के दर्ज इस संदिग्ध व्यय की सम्पूर्ण जांच विभागीय स्तर पर करके किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने की परिस्थिति में इस अनुचित भुगतान की वसूली दोषी से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र॰	**दिनांक**	**रो.ब. पृष्ठ**	**विवरण**	**राशि (₹)**
	सामान्य रोकड़ बही खाता ''क''ः–			
1	22.09.2015	36	चायपान इत्यादि	1000
2	18.02.2017	70	लेखन सामग्री	130
	हरियालीः–			
1	14.09.2015	62	सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा	2980
2	19.10.2015	65	सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा	2600
	12वां वित्तायोगः–			
3	28.02.2017	9	जे सी बी मशीन से खुदाई	8500
			कुल योगः	**15210**

17 बिना उचित बिलों के किया गया ₹1.44 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत मलराओं के अंकेक्षणावधि के चयनित माह तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹144260 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र॰	**दिनांक**	**रो. ब. पृष्ठ**	**वाउचर**	**विवरण**	**राशि (₹)**
	पंचायत निधि खाता हरियाली रोकड़ बहीः–				
1	14.09.2015	62	19	रेत, बजरी,पत्थर व ईटें	11680
2	14.09.2015	62	21	बजरी	12500
3	14.09.2015	62	24	रेत, बजरी व सीमेन्ट की ढुलाई	11590
4	28.09.2015	63	28	बजरी	8000

5	14.12.2015	66	38	बजरी	17000
	पंचायत निधि खाता 12,13 वाँ वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
6	19.01.2017	27	..	बजरी	8250
7	28.02.2017	08	..	रेत, बजरी व पत्थर	7000
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–				
8	21.04.2015	24	06	दरवाजें	22140
9	28.05.2015	29	10	शैटरिंग कार्य	17100
10	28.05.2015	29	12	दरवाजें	14000
11	07.08.2015	32	20	रेत, बजरी व पत्थर	15000
				कुल योग	**₹144260**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2018/–121 दिनांकः 30/05/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्च प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.42 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्राविधित है। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,41,997 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता हरियाली रोकड़ बहीः–				
1	11.09.2015	61	14	सरिया, पाईप	20390
2	11.09.2015	61	15	सरिया, पाईप	22600
3	11.09.2015	61	17	सरिया	7210
4	14.09.2015	62	19	रेत, बजरी,पत्थर व ईटें	11680
5	14.09.2015	62	21	बजरी	12500
6	14.09.2015	62	24	रेत, बजरी व सीमेन्ट की ढुलाई	11590
	पंचायत निधि खाता 12,13 वाँ वित्तायोग रोकड़ बहीः–				
7	28.02.2017	28	..	रेत, बजरी व सरिया	15000
8	28.02.2017	28	..	गेट व ग्रिल कार्य	6400
	पंचायत निधि खाता एन.आर. एच.एम. रोकड़ बहीः–				
9	17.02.2017	14	––	दरवाजे	3400
10	17.02.2017	14	––	टाईल, पाईप	30500
11	17.02.2017	14	––	बजरी	15000
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–				
12	29.06.2015	30	14	ईटें	13376
13	07.08.2015	32	20	रेत व बजरी	15000
14	16.02.2017	69	..	ग्रिल कार्य	3685
15	17.02.2017	70	..	दरवाजे	5350
16	22.03.2018	104	56	अलमारी	9500
17	23.03.2018	105	57	पेन्ट कार्य	20000
18	29.03.2018	105	59	स्टेशनरी	6800
19	29.03.2018	105	60	स्टेशनरी	5000
20	29.03.2018	105	61	शैटंरिग	3508
21	29.03.2018	105	68	रिचार्ज	3508
				कुल योग	**₹241997**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–121 दिनांकः 30/05/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 सीमेंट गोदाम हेतु किराए पर लिए गए कमरे के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया ₹0.06 लाख का अनियमित व्ययः–

ग्राम पंचायत द्वारा श्री गोविन्द राम, गांव मलराओं से सीमेंट गोदाम के रूप में कमरा किराए पर लिया गया है। जिसके एवज़ में सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ 104 पर दिनांक 22.03.20189 को ₹6000 गोदाम किराये का भुगतान ₹500 प्रतिमास की दर से अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के 12 महीने के लिये दर्ज किया गया है। यह कमरा कब से किराये पर लिया गया था इसका विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं था और न ही इस किराये के भुगतान का संकलित विवरण किसी रजिस्टर इत्यादि में रखा गया है जिस कारण से इस कमरे के किराये के रूप में अब तक किए गए कुल अनियमित व्यय की गणना नहीं की जा सकी है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी सम्पत्ति को किराये पर लिए जाने के लिए प्रावधित नियमों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को किराये पर लेने से पूर्व अथवा किराया वृद्धि हेतु इसके किराये का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करवाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है तथा इस गोदाम के किराये का मूल्यांकन कमरा किराये पर लेते वक्त नहीं करवाया गया है। इस कारण से इस गोदाम को किराये पर लिए जाने से अब तक किराये के रूप में किया गया समस्त भुगतान अनियमित व अनुचित है। अतः गोदाम किराये का मूल्यांकन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को अब लोक निर्माण विभाग से इसका मूल्यांकन नियमानुसार सुनिश्चित करने के अतिरिक्त अब तक इस मद में किए गए कुल व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विषेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मलराओं के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एकाधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	प्रयुक्त की गई अन्तिम रसीद	अन्तिम दिनांक/माह	खाली पड़ी रसीदें
1	001 से 100	050	31.03.2013 से पूर्व	50
2	001 से 100	061	20.05.2011	39
3	75201 से 75300	75292	21.02.2017	08
4	75401 से 75500	75451	21.04.2014	49
5	75701 से 75800	75708	05.03.2012	92
6	75801 से 75900	75844	31.03.2013 से पूर्व	56
7	75901 से 76000	75960	31.03.2011	40
8	88601 से 88700	88614	14.05.2018	86
9	88901 से 89000	88917	22.012.2017	83
10	89300 से 89400	89377	18.01.2018	23

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

22 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजी अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाण पत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत मलराओं में इस सन्दर्भ में जो अभिलेख तैयार किया गया है वह अंकेक्षण जांच के दौरान अपूर्ण पाया गया है तथा जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त सभी रसीदों का उसमें अवधि 2006–07 से लेकर 2016–17 तक कोई लेखांकन नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उपरोक्त 11 वर्षों की अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 आय से सम्बन्धित रसीदों को गायब करके किया गया ₹0.05 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन/गवनः—

ग्राम पंचायत मलराओं के प्रस्तुत लेखाओं/रोकड़ बहियों तथा सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रसीद बुक 75001 से 75100, 75101 से 75200 तथा 75301 से 75400 को पंचायत द्वारा वर्ष 2011 से 2014 का गृहकर वसूल करने हेतु प्रयोग किया गया है। इन रसीदों पर वार्षिक दर ₹10 प्रति परिवार के आधार पर चार वर्षों के लिए ₹40 गृहकर तथा ₹5 राशन कार्ड शुल्क (कुल ₹45 प्रति रसीद) वसूल किया गया है। परन्तु उपरोक्त रसीदों को न तो हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 ''रसीदों का स्टॉक रजिस्टर'' में दर्ज ही नहीं किया गया है और न ही इनमें से रसीद क्रमांक 75101 से 75200 पंचायत कार्यालय में उपलब्ध थी अथवा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस रसीद बुक से प्राप्त लगभग ₹4500 की आय का संम्भावित दुर्विनियोजन/गवन किया गया है। अतः इस प्रकरण की उच्चाधिकारी स्तर पर विभागीय जांच की जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर अपेक्षित राशि की वसूली के अतिरिक्त सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 लॉटरी की टिकटों हेतु ₹0.02 लाख का अनुचित भुगतानः—

पंचायत निधि–खाता ''क'' की रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पृष्ठ 106 पर दिनांक 31–03–2018 को ₹2000 का भुगतान बिलासपुर जिला रैड क्रॉस मेला बिलासपुर के रैफरल ड्रॉ 2018 के 100 टिकटों के लिए टिकट संख्या 094801 से 094900 तक के लिए ₹20 प्रति टिकट की दर से किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क की वसूली न करना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः—

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम

1994 के नियम 100 के प्रावधानों के अनुसार इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। पंचायत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इस मद में किसी प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत मलराओं में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

27 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत मलराओं द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1. मस्ट्रौल के भाग—3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच में

पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे:–

क्र	दिनांक	मस्ट्रौल क्रमांक	रो. ब. पृष्ठ	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता हरियाली रोकड़ बही:–			
1	10.09.2015	10009	60	31500
2	10.09.2015	10010	60	10980
3	10.09.2015	10011	60	20430
4	10.09.2015	10008	60	21500
	पंचायत निधि खाता 12,13 वाँ वित्तायोग रोकड़ बही:–			
5	26.02.2017	10024	07	14100
6	26.02.2017	10025	07	11700
	पंचायत निधि खाता एन.आर. एच.एम. रोकड़ बही:–			
7	28.02.2017	10023	15	28500
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही:–			
8	31.03.2018	10069	105	8610
9	31.03.2018	10072	106	8400
10	31.03.2018	10064	106	47040
11	31.03.2018	10068	106	34440

2. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

3. मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है।

4. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः—

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम॰ ए॰ एस॰ (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों की चयनित माह हेतु जांच में पाए गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन का यह अजीब तरीका किन लेखांकन नियमों अथवा किसके तथा किन आदेशों से अपनाया गया है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र॰	रो.ब.पृ.	दिनांक	वाउचर सं.	बोरियां	प्रति बोरी मूल्य	कुल लागत
	पंचायत निधि खाता हरियाली,क व ख' रोकड़ बहीः—					
1	58	08.09.15	..	47	218.60	10274
2	67	09.02.17	...	40	246.45	9858
3	103	19.03.18	..	28	260	7280
4	103	19.03.18	..	24	260	6240
5	103	19.03.18	..	15	260	3900
					कुल योगः	**₹37552**

29 नियमविरूद्ध ₹0.01 लाख से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान अनिवार्यतः चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान बहुत से भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में कई—कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तीकर्ताओं को भुगतान नकद रूप में किया गया था। अंकेक्षण जांच के दौरान सामने आए ₹1,35,432 के सम्भावित अनियमित नकद भुगतान के कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। अतः

नियमों के विपरीत इस प्रकार नकद भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही/भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0	दिनांक	खाता संख्या	चैक संख्या	आहरित राशि	आहरणकर्ता
1	08.05.2015	105300	366386	20000	श्री कमल देव, सचिव
2	18.06.2015	007581	181453	5000	श्री कमल देव, सचिव
3	06.07.2015	105300	366398	32652	श्री कमल देव, सचिव
4	09.11.2015	105300	367585	18600	श्री कमल देव, सचिव
5	15.07.2016	105300	367390	4880	श्रीमति मन्जुला चन्देल, प्रधान
6	28.02.2017	007581	181460	25800	श्रीमति मन्जुला चन्देल, प्रधान
7	28.02.2017	10394	367716	28500	श्रीमति मन्जुला चन्देल, प्रधान
		कुल योग		**₹135432**	

30 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
2. मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹21,59,467 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''2''** के अनुसार 11298 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।
3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक

13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का सम्पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर आधा अधूरा अभिलेखन ही किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 मनरेगा रोजगार कार्डों को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किए बिना जारी करना तथा अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Update) न करनाः–

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा नरेगा रोजगार कार्डों को कार्ड रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेख का निरन्तर अद्ययतन भी नहीं किया गया है। नरेगा अभिलेख की अंकेक्षण जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैंः–

1. रोजगार कार्ड में दिनांक 31.03.2018 तक दर्ज अन्तिम कार्ड का क्रमांक 255 है जिसके सन्दर्भ में पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना **परिशिष्ट ''3''** पर संलग्न है। परन्तु वर्ष 2017–18 के लिए नरेगा की राष्ट्रीय वैबसाईट से ली गई सूचना जो कि **परिशिष्ट ''3''** पर संलग्न है के अनुसार ग्राम पंचायत मलराओं द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक मात्र 213 ही रोजगार कार्ड जारी किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा नरेगा योजना के संचालन में अत्यधिक अनियमितताएं बरती जा रही है तथा इसकी कार्यप्रणाली संदेहास्पद है।
2. रोजगार कार्ड रजिस्टर की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि कार्ड क्रमांक 198 से लेकर क्रमांक 243 तक 46 कार्डों का विवरण जो अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए थे को इसमें दर्ज नहीं किया गया है। नियमानुसार प्रथमतयः रोजगार कार्ड का विवरण पंचायत राजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है तत्पश्चात ही आवेदक को कार्ड जारी किया जाता है। इस अनियमितता से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा अवधि 2015–16 से लेकर 2017–18 के तीन वर्षों के दौरान नरेगा नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मलराओं में नरेगा योजना के कार्यान्वन में अत्यधिक अनियमितताएं बरती जा रहीं हैं तथा प्रभारी कर्मचारियों की

कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। अतः यह प्रकरण पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा इसकी विभगीय स्तर पर विस्तृत जांच पश्चात यदि कोई गम्भीर अनियमितता पाई जाती है तो अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के ''**परिशिष्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।
2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।
3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।
5. निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री के लिए ''निर्माण सामग्री उपभोग विवरणि'' तैयार नहीं की गई हैं। यह विवरणी नियमानुसार कार्य प्रमात्रा के आधार पर आवश्यक सामग्री तथा वास्तविक उपभोग की गई सामग्री की जांच हेतु अति आवश्यक है। इसके अभाव में निर्माण कार्यों के बिलों की अंकेक्षण जाँच में दिक्कत आई है तथा समय की अनावश्यक बर्बादी हुई है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग—अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत मलराओं द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें उपरोक्त नियमानुसार पूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की

गई है। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी वस्तु के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

34 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)

10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

37 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(xii) 3/2018 खण्ड–1–5411–5414 दिनांक–10.08.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत मलराओं, विकास खण्ड झण्डूता, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177—2620046